संख्या-31/2026/410/2026/12-5099/23/2023/2042418

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद / सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 04 मई, 2026**

विषयः- फार्मर आई०डी० (किसान पहचान पत्र) को विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए अनिवार्य किया जाना।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 25/2026/51/2026/12-5099/54/2025/1932759 दिनांक 08 अप्रैल, 2026 के क्रम में शासनादेश संख्या 26/2026/51/2026/12-5099/54/2025/1932759 दिनांक 15 अप्रैल, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए फार्मर आई०डी० (किसान पहचान पत्र) को अनिवार्य किया गया है।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रदेश में चल रही गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को फार्मर आई०डी० (किसान पहचान पत्र) की अनिवार्यता के बिना खाद्य विभाग द्वारा पूर्व प्रक्रिया के आधार पर कृषि उत्पाद के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. यह निर्णय भी लिया गया है कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर फार्मर आई०डी० (किसान पहचान पत्र) बनाने की सुविधा उपलब्ध रहे, जहाँ किसान स्वेच्छा से अपनी फार्मर आई०डी० (किसान पहचान पत्र) बनवा सकें।

भवदीय,
एस०प० गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या-31(1)/2026/388/2026/12-5099/54/2025/1932759, तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in